मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
भोपाल – 462004

क्रमांक एफ 8–14/97/23/आसां भोपाल दिनांक 02–02–2002

प्रति,

सदस्य सचिव,
राज्य योजना मंडल
भोपाल, म. प्र.

2/ संचालक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी
भोपाल, म. प्र.

विषय : पुनरीक्षित सिटिजन चार्टर अपनाये जाने एवं लागू किये जाने के संबंध में ।

संदर्भ : इस विभाग का ज्ञापन क्र. एफ 8–14/97/23/आसां दिनांक 21–9–2000 ।

राज्य शासन चाहता है कि विभाग की सुविधा जिसका आम जनता से नाता है, के संबंध में जनसाधारण को जानकारी रहे कि उन्हें विभाग के कार्यालय से सामान्यतया कौन सी सुविधा किस तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है इस हेतु सिटीजन चार्टर के माध्यम से जनहित में आम लोगों को पूरी जानकारी देने की दृष्टि से शासकीय कामकाज में पारदर्शिता लाने का निर्णय लिया गया है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधी कार्य सिटीजन चार्टर में लागू करने हेतु चार्टर की प्रति संलग्न परिशिष्ट क है । कृपया इसका पालन सुनिश्चित कराते हुए व्यापक प्रचार – प्रसार कराया जाये एवं निम्नांकित निर्देशों को अनुसरण में लाया जाये :–

1. कृपया पत्र उपरोक्त समय–सीमा के अंतर्गत आवेदन पत्रों का निराकरण सुनिश्चित कराये।

2. आवेदन पत्र की पावती भी दी जाये । यदि आवेदन में कोई कमी है, तो पावती में उसका उल्लेख कर दिया जाये । आवेदनकर्ता को आवेदन प्राप्त करते समय पावती ही दी जाना चाहिये । पावती में आवेदन पत्र में निराकरण की समय–सीमा एवं उस अधिकारी के पदनाम का उल्लेख किया जाये, जिसे समय–सीमा में निराकरण न होने पर अपील की जा सकती है । पावती का प्रारूप परिशिष्ट–ख ।

3. सिटीजन चार्टर के अंतर्गत आवेदन पत्र की प्रविष्टी रजिस्टर में दर्ज की जावे ताकि ज्ञात हो सके कि किस समय में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये है । जिन आवेदन

पत्रों का निराकरण हो जाये उनके निराकरण का दिनांक भी रजिस्टर में अंकित किया जाये ।

4. कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाये जावें/ जानकारी एवं समय–सीमा तथा उस अधिकारी के पद नाम का उल्लेख किया जाये जिससे आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है ।

5. सिटीजन चार्टर के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निराकरण यथा संभव आवेदन प्राप्ति के क्रम के अनुसार किया जाये । मासिक रिपोर्ट मुख्यालय में संकलित की जाकर विभाग को मांगे जाने पर उपलब्ध कराई जाये ।

संलग्न :– यथोपरि
परिशिष्ट क एवं ख
(प्रपत्र एक एवं दो)

(एस. सी. पंड्या)
सचिव
म. प्र. शासन
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

–सिटीजन चार्टर–
योजना आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग

विभाग के प्रमुख उद्देश्य – गतिविधियाँ

1. **क – राज्य योजना मण्डल के दायित्व** :

- राज्य के संसाधनों का मूल्याकंन करना, उनके सर्वाधिक प्रभावी उपयोग की राज्य पंचवर्षीय योजना बनाना ।
- जिला योजना अधिकारियों को जिला योजनाएं तैयार करने में सहायता करना जिससे कि उन्हें उपयुक्त रूप से राज्य योजना ढांचे में सम्मिलित किया जा सके ।
- उन कारणों को ज्ञात करना जिससे राज्य के सामाजार्थिक विकास में रूकावटें आती हों और राज्य में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु उपाय सुझाना ।
- योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं पुनरावलोकन करना और आवश्यकतानुसार नीतियों/उपायों में ऐसी समायोजनों की अनुशंसा करना ।
- योजनाओं की प्राथमिकताएं निर्धारित करना ।

ख – (1) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय :

- आधारभूत सांख्यिकी का संकलन, संधारण, विश्लेषण एवं प्रकाशन, राज्यस्तरीय सांख्यिकी के क्षेत्र में नीति निर्धारण एवं गुणात्मक सुधार का नोडलिंग कार्य विभिन्न सर्वेक्षण ।
- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन एवं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा समय–समय पर सौंपे गये सर्वेक्षण कार्य, राज्य की सामाजार्थिक स्थिति का आंकलन, सर्वेक्षण, मूल्यांकन अध्ययन, राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करना ।
- मुख्य रजिस्ट्रार म.प्र. संबंधी जन्म–मृत्यु पंजीकरण कार्य जिला स्तर कार्यालयों के माध्यम से ।

(2) जिला स्थित कार्यालय :– जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय के माध्यम से कार्यो का संपादन । जिला रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु के सौंपे गये कार्यो का निर्वहन ।

2 जिला स्तर पर सिटीजन चार्टर सुविधा :–

जिला स्तर पर – विभागीय कार्यालय द्वारा आम नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाएं –

क. जिला स्तर पर –

जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय कार्यरत हैं । इस कार्यालय में सांख्यिकी अधिकारी/जिला रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु पदस्थ हैं । जिनके द्वारा आम नागरिकों को निम्नलिखित सुविधा प्रदाय की जाती हैं –

कार्यालय द्वारा दी जाने वाली सुविधा –

अगर जन्म–मृत्यु घटना का पंजीयन आवेदक द्वारा संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में जन्म–मृत्यु घटना से 30 दिनों तक नहीं कराया गया है, तो घटना के 30 दिनों के पश्चात् किन्तु एक साल के अंदर के प्रकरण में जन्म–मृत्यु के पंजीयन करने का आदेश/अनुमति जिला रजिस्ट्रार/सांख्यिकी अधिकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा दी जाती है ।

3 सुविधा प्राप्त करने का तरीका तथा आवेदन किसको प्रस्तुत होगा –

आवेदक, जिसके द्वारा जन्म–मृत्यु घटना का पंजीयन एक माह तक नहीं कराया है और प्रकरण घटना के एक वर्ष की अवधि के अंदर पंजीयन का है तो वह आवेदक प्रक्षेत्र के संबंधित रजिस्ट्रार (नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत अथवा थाना प्रभारी) से अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करके तथा शपथ पर एवं "अप्राप्यता, प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा "जिला रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु/सांख्यिकी अधिकारी" को जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसकी वे पावती प्राप्त कर सकेंगे ।

4 समय सीमा –

आवेदक के द्वारा अप्राप्यता प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र देने के उपरांत जिला रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु के द्वारा जन्म–मृत्यु घटना का पंजीयन करवाने का लिखित आदेश/अनुमति आवेदक को तत्काल या अधिकतम 7 दिनों के भीतर प्रदान की जा सकेगी ।

5 प्राप्त सुविधा से लाभ –

आवेदक, जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश/ अनुमति के साथ प्रक्षेत्र के रजिस्ट्रार कार्यालय में फीस जमा करेंगे तथा रजिस्ट्रार से जन्म–मृत्यु का पंजीयन कराकर उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे ।

6 अपील एवं अपील निराकरण –

"जिला रजिस्ट्रार/सांख्यिकी अधिकारी" से, सुविधा प्राप्त न होने पर किसे अपील करना होगा :–

जन्म–मृत्यु, पंजीयन अनुमति सुविधा प्राप्त करने के लिये किये गये आवेदन दिनांक से 7 दिनों तक अगर जन्म–मृत्यु घटना का पंजीयन बाबत् आदेश या अनुमति आवेदक को जिला रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु से प्राप्त नहीं होती है तो वह ''मुख्य रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु'' (अर्थात्)/संचालक,आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,म.प्र. विंध्याचल भवन, भोपाल को अपील कर सकेगा । जिसका निपटारा उनके द्वारा एक माह के भीतर किया जा सकेगा ।

यदि किसी स्तर पर भी शिकायत का निराकरण नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी को सीधे अपनी शिकायत कर सकता है ।

परिशिष्ट –क

(कार्यालय बोर्ड–नमूना)

सिटीजन चार्टर

जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय जिला ———————————

कार्यालय द्वारा दी जाने वाली सुविधा :

अगर जन्म–मृत्यु घटना का पंजीयन आवेदक द्वारा संबंधित रजिस्द्रार (नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत अथवा थाना प्रभारी) से, जन्म–मृत्यु घटना से 30 दिनों तक नहीं राया गया है, तो घटना के 30 दिनों के पश्चात् किन्तु एक साल के अन्दर के प्रकरण के जन्म–मृत्यु के पंजीयन करने का आदेश/अनुमति जिला रजिस्द्रार/सांख्यिकी अधिकारी – जिला योजना एवं सांख्यिकी (उक्त) कार्यालय के द्वारा दी जाती है ।

सुविधा प्राप्त करने का तरीका तथा आवेदन कैसे और किसको प्रस्तुत होगा – विवरण निम्नवत है :–

क्र.	कार्य विधि/योजना दी जाने वाली सुविधा का नाम	अनुमति सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन करने का तरीका एवं आवश्यक दस्तावेज जो आवेदन के साथ संलग्न किये जाने है।	आवेदन किसे प्रस्तुत किया जावेगा	देय फीस	आवेदन की निराकरण की अवधि	अपीली प्रधिकारी	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
	जन्म–मृत्यु घटना का रजिस्ट्रेशन घटना के एक माह तक नहीं कराया गया हो और प्रकरण घटना के एक वर्ष की अवधि के अन्दर रजिस्ट्रेशन का है, तो ऐसे प्रकरणों से संबंधी जन्म–मृत्यु घटना के रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति देने की सुविधा उपलब्ध है।	आवेदक को अपने प्रक्षेत्र के संबंधित रजिस्ट्रार (नगर निगम नगर पालिका, नगर पंचायत अथवा थाना प्रभारी का अप्राप्यता प्रमाण पत्र) तथा तत्संबंधी शपथ पत्र दस्तावेजों के साथ अपने नाम एवं पूर्व पते सहित सादा आवेदन करना होगा	सक्षम प्राधिकारी अर्थात जिला रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु /साख्यिकी अधिकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में आवेदन एवं उसके साथ आवश्यक दस्तावेज अप्राप्यता प्रमाण पत्र, एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा आवेदन की पावती प्राप्त करना होगी ।	अनुमति प्राप्त करने हेतु जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में आवेदन के लिये कोई फीस देय नहीं है ।	तत्काल अधिकतम सात दिवस	अगर आवेदक को उनके द्वारा सही एवं पूर्ण आवेदन करने की दिनांक से 7 दिनों तक जिला रजिस्टार (जन्म–मृत्यु) से पंजीयन कराने की अनुमति प्राप्त नही होती है तो वह मुख्य रजिस्ट्रार/संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय भोपाल को अपील कर सकेगा जिसके लिये कोई फीस देय नही होगी तथा 1 माह में निराकरण होगा	

यदि किसी स्तर भी शिकायत का निराकरण नही होता है तो ऐसी स्थिति में प्रमुख सचिव, योजना आर्थिकम एवं सांख्यिकी को सीधे अपनी शिकायत कर सकता है ।

परिशिष्ट – ''ख''
आवेदन पत्र पावती का प्रारूप

विभाग/कार्यालय का नाम ———————————————क्रमांक ———————दिनांक——————————

प्रति,

——————————————————————
——————————————————————
——————————————————————
——————————————————————

विषय :–. ——
——

संदर्भ :– आपका आवेदन पत्र दिनांक —————————————————————————————————

महोदय,

(1) आपका उपरोक्त आवेदन पत्र दिनांक——————को इस विभाग/कार्यालय में प्राप्त हुआ है ।

(2) आवेदन पत्र में निम्नांकित कमियां पाई गई है :–

(1) ——

(2) ——

(अ) आवेदन पत्र का निराकरण दिनांक——————————————तक किया जा सकेगा ।

(ब) उपरोक्त कमियों की पूर्ति होने पर ——————दिनों में आवेदन पत्र का निराकरण किया जावेगा ।

(स) निर्धारित समय सीमा में आपको जानकारी प्राप्त न होने/आवेदन पत्र निराकरण न होने पर संचालक (पदनाम)

को आप अपील/शिकायत कर सकते है ।

भवदीय/भवदीया

(————————————————)

प्रपत्र – एक

आवेदन निराकरण जानकारी संसूचित करने हेतु प्रपत्र

जिला कार्यालयों से विभागाध्यक्ष

जिले का नाम ————————————————

क्र.	सिटीजन चार्टर के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र			पूर्णता के लिए लौटाये गये आवेदन पत्र	सिटीजन चार्टर के अन्तर्गत कितने आवेदन पत्र पर सुविधा प्रदान की गई	निराकरण हेतु लंबित आवेदन पत्रो की संख्या	रिर्माक
	गत माह के लंबित आवेदन पत्र	माह में प्राप्त आवेदन पत्र	कुल आवेदन पत्र (क्र. 3 एवं 4 का योग)				
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

हस्ताक्षर
जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी
जिला योजना एवं साख्यिकी कार्यालय
जिला ————————————

प्रपत्र – दो
विभागाध्यक्ष से विभाग

क्र	जिले का नाम	सिटीजन चार्टर के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र			पूर्णता के लिए लौटाये गये आवेदन पत्र	सिटीजन चार्टर के अन्तर्गत कितने आवेदन पत्र पर सूविधा प्रदान की गई	निराकरण हेतु लंबित आवेदन पत्रों की संख्या	रिंर्माक
		गत माह के लंबित आवेदन पत्र	माह में प्राप्त आवेदन पत्र	कुल आवेदन पत्र (क्र. 3 एवं 4 का योग)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर
संचालक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी

मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ 8–9 / 2001 / 23 / आ.सां. भोपाल, दिनांक 5 / 2 / 200

प्रति,

सदस्य सचिव
राज्य योजना मण्डल
भोपाल, मध्यप्रदेश

2. संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी
भोपाल, मध्यप्रदेश

विषयः पुनरीक्षित सिटीजन चार्टर अपनाये जाने एवं लागू किये जाने के संबंध में ।

संदर्भः क्रमांक एफ 8–14 / 97 / 23 / आ. सां., भोपाल, दिनांक 2.2.2002 एवं क्रमांक एफ 8–14 / 97 / / आ. सां., भोपाल, दिनांक 21.7.1999 ।

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा योजना, आर्थिक एवं सांख्यि विभाग के जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधी कार्य सिटीजन चार्टर लागू करने हेतु चार्टर की प्रति चाही गई थी ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म–मृत्यु पंजीयन के लिये ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिव / कर्मी को उप रजिस्ट्रार नियु किया गया है । जिसमें परिशिष्ट ''क'' में आंशिक संशोधन किया गया है । संबंधित संशोधित परिशिष्ट ''क आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है । कृपया रजिस्ट्रेशन इकाईयों में उपरोक्तानुसार व्यापक प्रचार–प्रर कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

(डी. पी. अहिरवार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभा

पृ.क्र.– एफ 8–9 / 2001 / 23 / आ.सां . भोपाल, दिनांक / / 2007

प्रतिलिपि :

1. माननीय मंत्री जी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निज सचिव, मंत्रालय, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव / सचिव, मध्य प्रदेश शासन,समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, जन शिकायत विभाग के ज्ञाप 2142 / 53 / एक, दिनांक 31.12.2001 के तारतम्य में अग्रेषित ।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
5. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश ।
6. आयुक्त, जन सम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. जिला योजना अधिकारी / जिला रजिस्ट्रार, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय मध्यप्रदे को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि परिशिष्ट ''क'' समस्त इकाईयों को उपलब्ध करावें

(डी. पी. अहिरवार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभा

C:\Vitla\letter-16-1-2007.doc

परिशिष्ट–क.

मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय

क्र.	कार्य / गतिविधि / योजना का नाम	प्रभारी / विहित अधिकारी	निपटारे की समयसीमा	निर्धारित समयावधि में कार्यवाही न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जाना है उसका पदनाम	शिकायत के निराकरण की समय–सीमा
1	2	3	4	5	6
1	सासद / विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत सासद / विधायक से लिखित प्रस्ताव प्राप्त होने पर अनुशंसित कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना	जिला योजना अधिकारी	45 दिन	कलेक्टर	15 दिन
2	जन्म मृत्यु घटना का रजिस्ट्रेशन घटना के एक माह तक नही कराया गया हो और प्रकरण घटना के एक वर्ष की अवधि के अन्दर रजिस्ट्रेशन का है, तो ऐसे प्रकरणों से संबंधी जन्म–मृत्यु घटना के रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति पत्र की सुविधा उपलब्ध है ।				
	(i) नगरीय क्षेत्र के लिये	जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला योजना अधिकारी	7 दिन	कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म–मृत्यु पंजीयन	1 माह
	(ii) ग्रामीण क्षेत्र के लिये	रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	15 दिन	कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म–मृत्यु पंजीयन	1 माह

नोट – यदि इस स्तर पर शिकायत का निराकरण निर्धारण समयसीमा पर नही होता है तो आवेदक अपना आवेदन मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म–मृत्यु पंजीयन एवं संचालक, आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग को दे सकता है । इस स्तर की शिकायत का निराकरण 15 दिन में किया जायेगा । निराकरण न होने की स्थिति में आवेदक राज्य शासन को सीधे ई–मेल **manojjhalani @ mp.nic.in** पर अपनी शिकायत कर सकेगा ।

(डी. पी. अहिरवार)
उप सचिव
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी
मंत्रालय